Patrika (Indore), 6th January 2020, Page-5

प्रबंधन का तर्क : 95 फीसदी छात्र आसानी से पब्लिश करा लेते हैं दो पेपर

आइआइटी-आई से पीएचडी करने के लिए दो की जगह अब तीन रिसर्च पेपर जरूरी

पत्रिका इंडेप्थ स्टोरी

रिसर्च स्कॉलर नियम में बदलावों से नाराज

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

इंदौर. आइआइटी इंदौर ने पीएचडी नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। इसके अनुसार अब जर्नल्स में तीन रिसर्च पेपर प्रकाशित होना जरूरी है। इससे पहले तक दो रिसर्च पेपर पर पीएचडी अवॉर्ड की जाती थी। इस नियम ने आइआइटी के रिसर्च स्कॉलर्स की परेशानी बढ़ा दी है। वे पेपर की संख्या बढ़ाने के लिए आइआइटी के तर्क को भी बेतुका बता रहे हैं। दरअसल, आइआइटी ने हवाला दिया है कि 95 फीसदी तक उम्मीदवार आसानी से रिसर्च पेपर पब्लिश करा लेते हैं इसलिए इनकी संख्या बढ़ाई जाना जरूरी है।

यूजीसी के नियमानुसार कम से कम एक रिसर्च पेपर जरूरी है। इंदौर सहित देश के कुछ आइआइटी ने रिसर्च का स्तर बढ़ाने के लिए दो पेपर जरूरी किए थे। पहली बार किसी संस्थान ने तीन रिसर्च पेपर की अनिवार्यता को हरी झंडी दी है। खास बात यह है कि यह नियम पूर्वप्रभावी रहेगा। यानी नियम मंजूर होने से पहले रजिस्टर्ड हो चुके रिसर्च स्कॉलर को भी तीन पेपर जरूरी हो गए हैं। इससे आइआइटी से पीएचडी करने वालों में नाराजगी है और वे इसका विरोध कर रहे हैं।

एक और बदलाव इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रस्तुत करने को लेकर भी किया गया है। पीएचडी के लिए इसे मान्य किया जाता था जो अब नहीं होगा। इसे रिसर्च स्कॉलर नियमों का उल्लंघन बता रहे हैं। सीनेट बैठक में जानकारी दी गई कि 95 फीसदी रिसर्च स्कॉलर आसानी से रिसर्च पेपर पब्लिश कराते हैं। इस पर पीएचडी करने वालों का कहना है कि पीएचडी की पात्रता के लिए प्रवेश परीक्षा में 50 फीसदी अंक जरूरी है। अगर, दो पेपर आसानी से पब्लिश होते हैं तो क्या आइआइटी अपने स्तर पर न्यूनतम अंक 50 फीसदी की जगह 60 या 70 फीसदी कर सकता है।

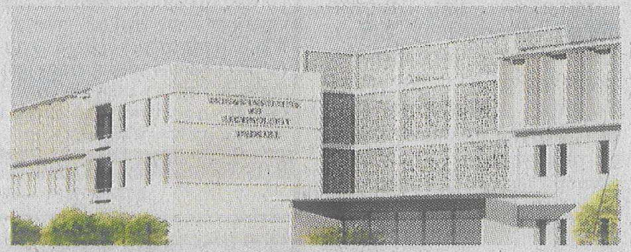

2016 में भी आया था प्रस्ताव

दो की जगह तीन पेपर पब्लिश करने का प्रस्ताव 2016 में भी आइआइटी की सीनेट बैठक में लाया जा चुका है। तब भी विरोध हुआ था और बोर्ड ऑफ गवर्नर ने इसकी वजह पूछी थी। पिछले सीनेट में आइआइटी ने 95 फीसदी रिसर्च स्कॉलर का तर्क दिया और अब इसे लागू कर दिया है।

परेशानी बढ़ाने वाला है नया नियम : रिसर्च स्कॉलर ऑफ इंडिया (आरएसआई) के राष्ट्रीय समन्वयक निखिल गुप्ता का कहना है कि आइआइटी का नया नियम रिसर्च स्कॉलर्स की परेशानी बढ़ाने वाला है। जल्द ही एमएचआरडी तक परेशानी पहुंचाई जाएगी।

ट्रेनिंग के लिए नैक के दौरे से पहले हुआ था करार, 60-60 विद्यार्थी की होगी बैच

आइइटी में एमएसएमई की क्लास के लिए करना होगा इंतजार

भारी-भरकम मशीनों के लिए टेंडर जारी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

इंदौर. देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के आइइटी में एमएसएमई की मशीनें लगने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। इसकी वजह मशीनों की बड़ी साइज और भारी-भरकम वजन है। ये मशीन एक साथ न बुलाकर अलग-अलग हिस्सों में बुलाकर इंस्टॉल कराई जाएंगी। उल्लेखनीय है कि एमएसएमई और आइइटी के बीच नैक के दौरे से ठीक पहले करार हुआ था।

इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के सहयोग से वर्कशॉ शुरू होना है। यहां मैकेनिकल औ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने वा विद्यार्थियों के साथ-सा प्रोफेशनल्स को भी ट्रेनिंग द जाएगी। शुरुआत में सर्टिफिके और डिप्लोमा दो तरह के को चलाने की तैयारी की गई है। दो कोर्स में 60-60 विद्यार्थी रहेंगे रिसर्चर्स भी यहां रिसर्च कर सकेंगे सेंटर में दस मशीन के साथ-सा कम्प्यूटर न्यूमरिकल कंट्रोल औ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनें भ इंस्टॉल की जाएगी। आइइटी वे सीनियर प्रोफेसर डॉ. आशेष तिवार के अनुसार इन मशीनों को आइइट तक भिजवाने के लिए एमएसएम ने टेंडर जारी किए हैं। हम उम्मी कर रहे हैं कि इसी महीने के अंत त मशीनें इंस्टॉल हो जाएंगी।